

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०न० / 2021 / 1042

रीवा, दिनांक 5.8.21


अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय अन्तर्गत सांख्यिकी के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाही इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

सांख्यिकी अध्ययन मण्डल


अधिनियम	28(2) एक	1.	रिक्त
	28(2) दो	1.	डॉ० एच०एन० गौतम, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, सांख्यिकीय विभाग, शास० आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2.	डॉ० (श्रीमती) वीना शर्मा, प्राध्यापक, सांख्यिकीय विभाग, शास० आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
	28(2) तीन	1.	रिक्त
	28(2) चार	1.	रिक्त
		2.	रिक्त
	28(2) पाँच	1.	प्र० एस०आर०जे० सिंह, प्राध्यापक, सांख्यिकीय विभाग, एग्रीकल्चर कॉलेज, सीहोर (म०प्र०)
		2.	प्र० एस०एस० गौतम, प्राध्यापक, सांख्यिकीय विभाग, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट संतना (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० एच०एन० गौतम को सांख्यिकी अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव 5.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)